न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, महोबा
उपस्थितः राम नगीना यादव,एच०जे०एस०,UP5737

UPMB010009362026

(<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-412/2026)</u>

मनोज कुमार यादव उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री कमलेश निवासी ग्राम घटेहरी थाना प्रकाश बम्हौरी जिला छतरपुर (म०प्र०) **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश **.....विपक्षी**

मुकदमा अपराध संख्या-0084/2026
धारा-109(1)/352/115(2)/351(3)/3(5) बी०एन०एस०
<u>थाना-कबरई,जिला-महोबा।</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **मनोज कुमार यादव** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-0084/2026, धारा-109(1)/352/115(2)/351(3)/3(5) बी० एन० एस०, थाना कबरई जिला महोबा के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

2. उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जेल में निरूद्ध हैं। आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों के समर्थन में शिवराज पुत्र प्रागीलाल द्वारा शपथपत्र कागज संख्या-4ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त का यह **प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र** है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय में न ही प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 19.04.2026 को वादी मुकदमा का लड़का वरदान सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष कृषि कार्य हेतु डीजल लेने ग्राम रिवई थाना कबरई गया था तथा रिवई बस स्टैण्ड स्थित एक दुकान में समय करीब 03.00 बजे समोसा खाने लगा कि पूर्व रंजिश को लेकर पहले से घात लगाये शिवराज यादव पुत्र लाला यादव अपने हाथ में लाईसेन्सी दोनाली बंदूक लिए, छोटू यादव पुत्र शिवराज यादव अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिये, अमित यादव पुत्र शिवराज यादव अपने हाथ में डण्डा लिये एवं उनके रिश्तेदार मनोज यादव अपने हाथ में डण्डा लिये आये और वादी मुकदमा के पुत्र को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से एक राय होकर सभी लोग मारपीट करने लगे जिससे वादी मुकदमा के पुत्र के सिर व शरीर में गम्भीर चोटें आयीं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा, तभी वादी मुकदमा के भतीजे अरविन्द सिंह पुत्र करन सिंह, अभय सिंह पुत्र अरविन्द सिंह आ गये तो उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मारपीट के दौरान वादी मुकदमा के पुत्र के गले में पड़ी दो तोला की चैन एवं डीजल खरीदने के लिए

Digitally signed by RAM NAGINA YADAV
Date: 2026.05.27 12:00:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जेब में रखे मु० 5600/- रूपया गिर गया। वादी मुकदमा के पुत्र का इलाज चल रहा है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है। उपरोक्त मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। उसने कोई भी अभद्र गालियां, गैर इरादतन हत्या व गम्भीर रूप से मारपीट व गाली-गलौज नहीं किया है और न ही जान से मारने की धमकी दी। वादी मुकदमा द्वारा घटना दिनांक 19.04.2026 समय करीब 3.00 बजे की बतायी गयी है लेकिन घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.04.2026 को एक दिन विलम्ब से विधिक राय लेकर दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा फर्जी मेडिकल प्रपत्र बनवाये गये हैं जबकि चुटहिल को कोई भी ऐसी गम्भीर चोट नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत सत्र न्यायालय महोबा से स्वीकार हो चुकी हैं। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से उप-कारागार महोबा में निरूद्ध है। उसका जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। सत्र न्यायालय में उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। वह निर्दोष है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. अभियोजन की तरफ से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि आवेदक/अभियुक्त ने पूर्व रंजिश के कारण अन्य सह- अभियुक्तगण के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से वादी मुकदमा के पुत्र वरदान सिंह को लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी से मारपीटकर उसके सिर व शरीर के अन्य भागो में गम्भीर चोटें कारित की। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त आधारों आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7. आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पूर्व रंजिश के कारण वादी मुकदमा के पुत्र वरदान सिंह को गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी से मारपीटकर उसके सिर व शरीर में गम्भीर चोटें कारित की तथा उसकी पसली तोड़ दी। कथित घटना में घायल वरदान सिंह को कुल सात चोटें आयी हैं। घायल वरदान सिंह की चिकित्सीय आख्या के अनुसार चोट संख्या-2, 4 व 6 साधारण प्रकृति की हैं तथा शेष चोट संख्या-1,3,5 व 7 एक्स-रे के लिए रेफर की गयीं। मजरूब की एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार उसके सिर व सीने का एक्स-रे किया गया जिनमें NAD पाया गया। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सह अभियुक्त शिवराज यादव का जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-370/2026 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त हैं और आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. **आदेशः** आवेदक/अभियुक्त **मनोज कुमार यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0-50000/-(पचास हजार रूपया) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांकः27-05-2026

(राम नगीना यादव)
सत्र न्यायाधीश,
महोबा।